

#### अमाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 774] No. 774] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 4, 2016/कार्तिक 13, 1938

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 4, 2016/KARTIKA 13, 1938

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 4 नवम्बर, 2016

सं. फेमा. 379/2016-आरबी

# विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (सोलहवां संशोधन) विनियमावली, 2016

सा.का.िन. 1042(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/2000-आरबी) (<u>इसके बाद "मूल विनियमावली" कहलाया जाएगा</u>) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

## 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (सोलहवां संशोधन) विनियमावली, 2016 कहलाएंगे।
- (ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

5168 GI/2016 (1)

## 2. अनुसूची 1 में संशोधन :-

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000, (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/2000-आरबी) में, अनुसूची 1 में, मौजूदा अनुबंध 'बी' में, मौजूदा मद सं. एफ़.10, को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :

एफ़.10	<b>पेंशन</b>	49%	स्वचालित मार्ग से	
एफ़.10.1	अन्य शर्तें			
	(ए) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) अधिनियम, 2013 के अनुसार पेंशन निधियों में विदेशी निवेश अनुमत है।			
	(बी) पेंशन निधियों में विदेशी निवेश इस शर्त के अधीन होगा कि पेंशन निधि विनियामक और विक प्राधिकरण (PFRDA) अधिनियम,2013 की धारा 24 के अनुसार इक्किटि शेयर अथवा अधिमानी शेयर अथ संपरिवर्तनीय शेयर के रूप में विदेशी निवेश लाने वाली एंटीटीयां PFRDA से आवश्यक पंजीयन प्राप्त करें और भारत में पेंशन निधि प्रबंधन गतिविधियों में भाग लेने के लिए पेंशन निधि विनियामक और विक प्राधिकरण (PFRDA) अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत निर्मित नियमावली और विनियमावली अनुसार अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगी।			
	(सी) भारतीय पेंशन निधि यह सुनिश्चित करेगा कि उसका स्वामित्व एवं नियंत्रण हमेशा भारतीय निवा एंटीटीयों के हाथ में रहे जो भारत सरकार/पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा समय-सम्पर उनके द्वारा जारी नियमों/विनियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। 'स्वामित्व' और 'नियंत्रण' शब्दों तात्पर्य वही होगा जो मूल विनियमावली के विनियम 14 में परिभाषित है।			

[फा. सं. 1/11/ ईएम- 2016]

शेखर भटनागर, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद-टिप्पणी :- मूल विनियमावली 8 मई 2000 को सा.का.नि.सं. 406 (अ) भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी:-

सा.का.नि. सं. 158(अ) दिनांक 02.03.2001	सा.का.नि. सं. 899(अ) दिनांक 22.11.2003
सा.का.नि. सं. 175(अ) दिनांक 13.03.2001	सा.का.नि. सं. 12(अ) दिनांक 07.01.2004
सा.का.नि. सं. 182(अ) दिनांक 14.03.2001	सा.का.नि. सं. 278(अ) दिनांक 23.04.2004
सा.का.नि. सं. 4(अ) दिनांक 02.01.2002	सा.का.नि. सं. 454(अ) दिनांक 16.07.2004
सा.का.नि. सं. 574(अ) दिनांक 19.08.2002	सा.का.नि. सं. 625(अ) दिनांक 21.09.2004
सा.का.नि. सं. 223(अ) दिनांक 18.03.2003	सा.का.नि. सं. 799(अ) दिनांक 08.12.2004
सा.का.नि. सं. 225(अ) दिनांक 18.03.2003	सा.का.नि. सं. 201(अ) दिनांक 01.04.2005
सा.का.नि. सं. 558(अ) दिनांक 22.07.2003	सा.का.नि. सं. 202(अ) दिनांक 01.04.2005
सा.का.नि. सं. 835(अ) दिनांक 23.10.2003	सा.का.नि. सं. 504(अ) दिनांक 25.07.2005

सा.का.नि. सं. 505(अ) दिनांक 25.07.2005 सा.का.नि. सं. 513(अ) दिनांक 29.07.2005 सा.का.नि. सं. 738(अ) दिनांक 22.12.2005 सा.का.नि. सं. 29(अ) दिनांक 19.01.2006 सा.का.नि. सं. 413(अ) दिनांक 11.07.2006 सा.का.नि. सं. 712(अ) दिनांक 14.11.2007 सा.का.नि. सं. 713(अ) दिनांक 14.11.2007 सा.का.नि. सं. 737(अ) दिनांक 29.11.2007 सा.का.नि. सं. 575(अ) दिनांक 05.08.2008 सा.का.नि. सं. 896(अ) दिनांक 30.12.2008 सा.का.नि. सं. 851(अ) दिनांक 01.12.2009 सा.का.नि. सं. 341(अ) दिनांक 21.04.2010 सा.का.नि. सं. 821(अ) दिनांक 10.11.2012 सा.का.नि. सं. 606(अ) दिनांक 03.08.2012 सा.का.नि. सं. 795(अ) दिनांक 30.10.2012 सा.का.नि. सं. 796(अ) दिनांक 30.10.2012 सा.का.नि. सं. 797(अ) दिनांक 30.10.2012 सा.का.नि. सं. 945(अ) दिनांक 31.12.2012 सा.का.नि. सं. 946(अ) दिनांक 31.12.2012 सा.का.नि. सं. 38(अ) दिनांक 22.01.2013 सा.का.नि. सं. 515(अ) दिनांक 30.07.2013 सा.का.नि. सं. 532(अ) दिनांक 05.08.2013 सा.का.नि. सं. 341(अ) दिनांक 28.05.2013 सा.का.नि. सं. 344(अ) दिनांक 29.05.2013 सा.का.नि. सं. 195(अ) दिनांक 01.04.2013 सा.का.नि. सं. 393(अ) दिनांक 21.06.2013 सा.का.नि. सं. 591(अ) दिनांक 04.09.2013 सा.का.नि. सं. 596(अ) दिनांक 06.09.2013

सा.का.नि. सं. 597(अ) दिनांक 06.09.2013 सा.का.नि. सं. 681(अ) दिनांक 11.10.2013 सा.का.नि. सं. 682(अ) दिनांक 11.10.2013 सा.का.नि. सं. 818(अ) दिनांक 31.12.2013 सा.का.नि. सं. 805(अ) दिनांक 30.12.2013 सा.का.नि. सं. 683(अ) दिनांक 11.10.2013 सा.का.नि. सं. 189(अ) दिनांक 19.03.2014 सा.का.नि. सं. 190(अ) दिनांक 19.03.2014 सा.का.नि. सं. 270(अ) दिनांक 07.04.2014 सा.का.नि. सं. 361(अ) दिनांक 27.05.2014 सा.का.नि. सं. 370(अ) दिनांक 30.05.2014 सा.का.नि. सं. 371(अ) दिनांक 30.05.2014 सा.का.नि. सं. 435(अ) दिनांक 08.07.2014 सा.का.नि. सं. 400(अ) दिनांक 12.06.2014 सा.का.नि. सं. 436(अ) दिनांक 08.07.2014 सा.का.नि. सं. 487(अ) दिनांक 11.07.2014 सा.का.नि. सं. 632(अ) दिनांक 02.09.2014 सा.का.नि. सं. 798(अ) दिनांक 13.11.2014 सा.का.नि. सं. 799(अ) दिनांक 13.11.2014 सा.का.नि. सं. 800(अ) दिनांक 13.11.2014 सा.का.नि. सं. 829(अ) दिनांक 21.11.2014 सा.का.नि. सं. 906(अ) दिनांक 22.12.2014 सा.का.नि. सं. 914(अ) दिनांक 24.12.2014 सा.का.नि. सं. 30(अ) दिनांक 14.01.2015 सा.का.नि. सं. 183(अ) दिनांक 12.03.2015 सा.का.नि. सं. 284(अ) दिनांक 13.04.2015 सा.का.नि. सं. 484(अ) दिनांक 11.06.2015 सा.का.नि. सं. 745(अ) दिनांक 30.09.2015

सा.का.नि. सं. 759(अ) दिनांक 06.10.2015	सा.का.नि. सं. 166(अ) दिनांक 15.02.2016
सा.का.नि. सं. 823(अ) दिनांक 30.10.2015	सा.का.नि. सं. 369(अ) दिनांक 30.03.2016
सा.का.नि. सं. 858(अ) दिनांक 16.11.2015	सा.का.नि. सं. 537(अ) दिनांक 20.05.2016
सा.का.नि. सं. 983(अ) दिनांक 17.12.2015	सा.का.नि. सं. 879(अ) दिनांक 09.09.2016
सा.का.नि. सं. 165(अ) दिनांक 15.02.2016	सा.का.नि. सं. 1015(अ) दिनांक 27.10.2016

#### RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

#### **NOTIFICATION**

Mumbai, the 4th November, 2016

#### No. FEMA. 379/2016-RB

# Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Sixteenth Amendment) Regulations, 2016

**G.S.R. 1042(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 20/2000-RB dated 3rd May 2000), (hereinafter referred to as 'the Principal Regulations') namely:-

### 1. Short Title & Commencement:-

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Sixteenth Amendment) Regulations, 2016.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

#### 2. Amendment of the Schedule 1

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000), in Schedule 1, in Annex B, for the existing entry F.10, the following shall be substituted, namely:

F.10.	Pension	49%	Automatic route		
F.10.1	Other Conditions				
	a) Foreign investment in the Pension Funds is allowed as per the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) Act, 2013.				
	b) Foreign investment in Pension Funds will be subject to the condition that entities bringing in foreign investments as equity shares or preference shares or convertible debentures or warrants as per Section 24 of the PFRDA Act, 2013 shall obtain necessary registration from the PFRDA and comply with other requirements as per the PFRDA Act, 2013 and Rules and Regulations framed under it for so participating in Pension Fund Management activities in India.				
	c) An Indian pension fund shall ensure that its ownership and control remains at all times in the hands of resident Indian entities as determined by the Government of India / PFRDA as per the rules/regulation issued by them from time to time. The meaning of ownership and control would be as defined in Regulation 14 of the Principal Regulations.				

[F. No. 1/11/EM-2016]

**Foot Note:-** The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No. 406(E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-Section (i) and subsequently amended as under:-

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
G.S.R.No. 158(E) dated 02.03.2001	G.S.R. No.195(E) dated 01.04.2013
G.S.R.No. 175(E) dated 13.03.2001	G.S.R.No.393(E) dated 21.06.2013
G.S.R.No. 182(E) dated 14.03.2001	G.S.R.No.591(E) dated 04.09.2013
G.S.R.No. 4(E) dated 02.01.2002	G.S.R.No.596(E) dated 06.09.2013
G.S.R.No. 574(E) dated 19.08.2002	G.S.R.No.597(E) dated 06.09.2013
G.S.R.No. 223(E) dated 18.03.2003	G.S.R.No.681(E) dated 11.10.2013
G.S.R.No. 225(E) dated 18.03.2003	G.S.R.No.682(E) dated 11.10.2013
G.S.R.No. 558(E) dated 22.07.2003	G.S.R. No.818(E) dated 31.12.2013
G.S.R.No. 835(E) dated 23.10.2003	G.S.R. No.805(E) dated 30.12.2013
G.S.R.No. 899(E) dated 22.11.2003	G.S.R.No.683(E) dated 11.10.2013
G.S.R.No. 12(E) dated 07.01.2004	G.S.R.No.189(E) dated 19.03.2014
G.S.R.No. 278(E) dated 23.04.2004	G.S.R.No.190(E) dated 19.03.2014
G.S.R.No. 454(E) dated 16.07.2004	G.S.R.No.270(E) dated 07.04.2014
G.S.R.No. 625(E) dated 21.09.2004	G.S.R.No. 361 (E) dated 27.05.2014
G.S.R.No. 799(E) dated 08.12.2004	G.S.R.No.370(E) dated 30.05.2014
G.S.R.No. 201(E) dated 01.04.2005	G.S.R.No.371(E) dated 30.05.2014
G.S.R.No. 202(E) dated 01.04.2005	G.S.R.No. 435 (E) dated 08.07.2014
G.S.R.No. 504(E) dated 25.07.2005	G.S.R.No. 400 (E) dated 12.06.2014
G.S.R.No. 505(E) dated 25.07.2005	G.S.R.No. 436 (E) dated 08.07.2014
G.S.R.No. 513(E) dated 29.07.2005	G.S.R.No. 487 (E) dated 11.07.2014
G.S.R.No. 738(E) dated 22.12.2005	G.S.R.No. 632 (E) dated 02.09.2014
G.S.R.No. 29(E) dated 19.01.2006	G.S.R.No. 798 (E) dated 13.11.2014
G.S.R.No. 413(E) dated 11.07.2006	G.S.R.No. 799 (E) dated 13.11.2014
G.S.R.No. 712(E) dated 14.11.2007	G.S.R.No. 800 (E) dated 13.11.2014
G.S.R.No. 713(E) dated 14.11.2007	G.S.R.No. 829 (E) dated 21.11.2014
G.S.R.No. 737(E) dated 29.11.2007	G.S.R.No. 906(E) dated 22.12.2014
G.S.R.No. 575(E) dated 05.08.2008	G.S.R.No. 914 (E) dated 24.12.2014
G.S.R.No. 896(E) dated 30.12.2008	G.S.R.No. 30 (E) dated 14.01.2015
G.S.R.No. 851(E) dated 01.12.2009	G.S.R.No. 183 (E) dated 12.03.2015
G.S.R.No. 341 (E) dated 21.04.2010	G.S.R.No. 284 (E) dated 13.04.2015
G.S.R.No. 821 (E) dated 10.11.2012	G.S.R.No. 484 (E) dated 11.06.2015
G.S.R.No. 606(E) dated 03.08.2012	G.S.R.No. 745 (E) dated 30.09.2015
G.S.R.No. 795(E) dated 30.10.2012	G.S.R.No. 759 (E) dated 06.10.2015
G.S.R.No. 796(E) dated 30.10.2012	G.S.R.No. 823 (E) dated 30.10.2015
G.S.R. No. 797(E) dated 30.10.2012	G.S.R.No. 858 (E) dated 16.11.2015
G.S.R.No. 945 (E) dated 31.12.2012	G.S.R.No. 983 (E) dated 17.12.2015
G.S.R. No.946(E) dated 31.12.2012	G.S.R.No. 165 (E) dated 15.02.2016
G.S.R. No.38(E) dated 22.01.2013	G.S.R.No. 166 (E) dated 15.02.2016
G.S.R.No.515(E) dated 30.07.2013	G.S.R.No. 369 (E) dated 30.03.2016
G.S.R.No.532(E) dated 05.08.2013	G.S.R.No. 537 (E) dated 20.05.2016
G.S.R. No.341(E) dated 28.05.2013	G.S.R.No. 879 (E) dated 09.09.2016
G.S.R.No.344(E) dated 29.05.2013	G.S.R.No. 1015 (E) dated 27.10.2016